



प्रेस नोट

थाना बिन्दकी पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित/इनामिया (धनराशि 50000/-रु0) अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक – 28.09.2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिन्दकी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर वादिनी मुकदमा श्रीमती सपना देवी पत्नी कृष्ण प्रताप सिंह निवासिनी ग्राम कुशारा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर आदि को ग्राम कुशारा में सरकारी राशन कोटा व सरकारी कालोनी आबंटित कराने के नाम पर फर्जी कूटरचित दस्तावेज दिखाते हुए कुल 2469700/-रु0 की ठगी करने तथा पैसा वापस माँगने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2026 को पंजीकृत मु0अ0स0 54/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/352/351(2) BNS में प्रकाश आये वांछित अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा पुत्र रामकिशोर निवासी 1461 योगेन्द्र बिहार नौबस्ता दक्षिणी थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर जो लगातार वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु उसके घर व मिलने के सम्भावित स्थानो पर लगातार दबिश तलाश पतारसी सुरागरसी की गयी । अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा के विरुद्ध दिनांक 04.04.2026 को मा0 न्यायालय ACJM-3 द्वारा गैर जमानतीय वारंट की आदेशिका जारी की गयी । दिनांक 23.05.2026 को अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर 25000/-रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया । अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 03.06.2026 को मा0 न्यायालय ACJM-3 द्वारा धारा 84 BNSS की आदेशिका जारी की गयी । वांछित/इनामिया अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा पुत्र रामकिशोर निवासी 1461 योगेन्द्र बिहार नौबस्ता दक्षिणी थाना हनुमन्त बिहार (पूर्व थाना नौबस्ता) कानपुर नगर की गिरफ्तारी हेतु काफी अथक प्रयास एवं मिलने के सम्भावित स्थानो पर दबिश देने के उपरान्त भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिल सकी । अभियुक्त ने मा० न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया । जिसके फलस्वरूप वांछित/इनामिया अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा उपरोक्त की गिरफ्तारी के द्रष्टिगत श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र , प्रयागराज द्वारा पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 50000/-रु0 कर दिया गया । वांछित/इनामिया अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु किये जा रहे प्रयासो के क्रम मे थाना बिन्दकी पुलिस और जनपदीय सर्विलांस सेल फतेहपुर की संयुक्त टीम द्वारा कर्रही क्षेत्र स्थित मकान थाना क्षेत्र बर्रा जनपद कानपुर नगर से वांछित/इनामिया अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा उपरोक्त को दिनांक 28.09.2026 को समय 01.10 बजे गिरफ्तार कर मा0न्यायालय फतेहपुर रवाना किया गया ।

➤ गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

- स्थान – कर्रही क्षेत्र स्थित मकान थाना क्षेत्र बर्रा जनपद कानपुर नगर
- दिनांक – 28.09.2026
- समय – 01.10 बजे

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- निखिल विश्वकर्मा उर्फ गोलू पुत्र रामकिशोर विश्वकर्मा करीब 29 वर्ष निवासी मकान नं. 1461, योगेन्द्र विहार, नौबस्ता दक्षिणी, थाना हनुमन्त विहार, कानपुर नगर

➤ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- मु०अ०स०-54/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/352/351(2) BNS थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर

➤ बरामदगी का विवरण –

1. निल

➤ गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/ कर्म0गण का विवरण –

1. श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
2. अ०नि० श्री श्याम प्रकाश पाण्डेय मय पुलिस टीम थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
3. श्री सुनील कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद फतेहपुर मय सर्विलांस टीम

प्रभारी निरीक्षक
थाना बिन्दकी
जनपद फतेहपुर

